

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

आदेश संख्या 145/2020

दिनांक- 08.10.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1091/IV-CPC/e-Courts/ Allahabad दिनांकित 05.05.2020, 1093/IV-CPC/e-Courts/ Allahabad दिनांकित 07.05.2020, 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad दिनांकित 20.05.2020, 1117LXXXVII दिनांकित 03.06.2020, 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 16.07.2020 एवं 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 28.07.2020 के माध्यम से लोक डाउन के दौरान व उसके पश्चात की अवधि में जनपद न्यायालयों के संचालन हेतु विशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई द्वारा अपने पत्र संख्या 958/ओ0एस0डी0-कोविड-19, दिनांक 08.10.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मोहल्ला पटेलनगर, कानपुर रोड, जिला जजी, के समीप न्यायिक आवासीय परिसर में पिछले 14 दिनों में कोई भी क्वेस न पाये जाने के कारण न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर नव सेरान्त हाउस व जिला न्यायालय को कन्टेनमेंट जोन की श्रेणी से विमुक्त कर दिया गया है, इसलिये जिला न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर नव सेरान्त हाउस भी उक्त परिधि से बाहर आ गये हैं।

जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई के आख्यानुसार जिला न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर एवं उरई स्थित न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर कन्टेनमेंट जोन के अधीन नहीं हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांकों में दिये गये विशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय, में सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की दिनांक 08.10.2020 को साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन के उपरान्त तुरन्त जिला न्यायालय से सम्बन्धित मुख्यालय उरई पर स्थित सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य सन्तुष्ट किया जायेगा।

समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं कर्मचारीवर्ग को आवेक्षित किया जाता है कि वह कोविड-19 के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक विशा में तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत विशा निर्देशों एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रारित आदेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी, प्रशासन/प्रभारी अधिकारी गजरात, केन्द्रीय माजिर एवं कोर्ट मैनेजर को निर्दिष्ट किया जाता है कि न्यायालय खोले जाने से पूर्व एवं तदोपरान्त इत्येक कार्य दिवस पर अपने पदवेधन में व्यक्तिगत रूपि लोटे हुए सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन जिला प्रशासन, अन्य प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से सुनिश्चित करावें।

आदेश की प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक, अधिशाही अधिकारी नगर पालिका उरई, डिस्ट्रिक्ट जालौन वार एसोसियेशन उरई, जिला कारागार एवं समस्त पीठासीन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं सम्यक् अनुपालनार्थ तथा जिला सूचना अधिकारी को जन-सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावे तथा एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, सी0पी0सी0 उच्च न्यायालय के वेब लिंक एवं जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अप-लोड की जाए।

(अशोक कुमार सिंह)

जनपद न्यायाधीश

जालौन स्थान उरई।

08.10.2020

District Judge

Jaloun at Orail